कृषि आदानों के लिए राज्यों को अल्पावधि ऋण

1459. श्रीमती रत्न कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि संबंधी आदानों के लिये विभिन्न राज्यों को अल्पावधि ऋण देती है ; यदि हां, तो किस-किस प्रकार के कृषि आदानों के लिये ये ऋण दिए जाते हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हां हो तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों ने ऐसे अल्पावधि ऋणों के लिए कितनी धनराशि की मांग की तथा प्रतिवर्ष उन्हें कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी , और

(ग) किन-किन राज्यों को उनकी आवश्यकता अथवा मांग के अनुरूप राशि उपलब्ध नहीं करायी गई और उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): जी हां । अल्पकालिक ऋण, खरीफ और रबी मौसम में, कृषि आदानों अर्थात् उर्वरक, बीज और कीटनाशी दवाईयां खरीदने और इनका वितरण करने के लिए दिए जाते है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये)

(ग) धनराशि की कमी के कारण सम्पूर्ण मांग को पूरा करना सम्भव नहीं था ।

विवरण

राज्यों द्वारा मांगा गया तथा स्वीकृत अल्पकालिक ऋण

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	1985–86		1986–87		1987–88	
		मांगा गया	स्वीकृत	मांगा गया	स्वीकृत	मांगा गया	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.75	10.80	10.00*	10.00	प्राप्त नहीं	23.56
2.	असम	5.00*	5.15	5.50*	1.00	8.00*	3.05
3.	बिहार	प्राप्त नहीं	20.00	30.00	11.03	12.00*	21.10
4.	गुजरात	36.47	16.30	55.00	35.87	35.48	15.58
5.	हरियाणा	49.50	13.80	51.00	17.46	50.00	10.62
6.	हिमाचल प्रदेश	1.60	1.00	2.00	2.00	2.00	1.67
7.	जम्मू और कश्मीर	8.00	2.50	14.50*	2.00	23.19	2.67
8.	कर्नाटक	18.00	13.40	25.00	17.85	34.17	15.27
9.	केरल	6.00	4.10	4.00*	2.00	8.00	5.74

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मध्य प्रदेश .	40.50	20.65	70.39	11.01	30.00	13.44
11.	महाराष्ट्र .	39.50	19.50	48.25	30.84	44.25	17.10
12.	मणिपुर .	2.00*	0.75	2.24	0.63	4.09	0.66
13.	मेघालय .	2.00	1 25	2.12	0.47	1.50	0.21
14.	उड़ीसा .	30.00	11.50	21.25	10.75	29.32	8.88
15.	पंजाब .	100.00	25.85	121.00	39.78	50.00	24.62
16.	राजस्थान .	60.38	18.00	37.67	7.65	प्राप्त नहीं	15.35
17.	तमिलनाडु .	35.67	13.35	49.76	11.35	51.00	14.41
18.	त्रिपुरा .	प्राप्त नहीं	0.10	0.80*	0.60	1.10*	0.32
19.	उत्तर प्रदेश .	150.00	43.00	73.50	38.48	80.00	43.26
20.	पश्चिम बंगाल .	50.00	15.00	70.00	9.23	50.00	22.49
	योग .	661.37	256.00	693.98	260.00	514.10	260.00

*केवल एक मौसम के लिए

फसल बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रस्ताव

1460. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के सहयोग से फसल बीमा योजना को लागू कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों ने थ्रेशहोल्ड उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए अलग-अलग मानक अपनाए हैं तथा उत्पादन में हुई क्षति की पूर्ति करने के लिये विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रशासनिक इकाईयां विद्यमान हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार सभी राज्यों में सफल बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या बैंकों से किसी प्रकार का ऋण न लेने वाले कृषकों की फसलों का भी अनिवार्य रूप से बीमा किया जाएगा ; और

(च) क्या भारत सरकार इस योजना को इस प्रकार कार्यान्वित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी कि ऐसे हर किसान को जिसकी फसल का बीमा किया गया हो उसे वास्तव में होने वाली हानि के अनुरूप क्षतिपूर्ति की जाए ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम की राज्य सरकारों ने अब तक यह योजना नहीं अपनाई है । इसके अति-